न्यायालय–अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण,
<u>जयपुर महानगर–प्रथम</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रीति मुकेश परनामी,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>सेशन प्रकरण संख्या : 316/2019 CNR No. RJJM01-013267-2019</u>

राजस्थान राज्य

बनाम

1. हेमराज पुत्र रामनारायण, उम्र 33 वर्ष,
2. प्रभाती देवी पत्नी रामनारायण, उम्र 60 वर्ष,

निवासीगण मकान नंबर 3, श्याम विहार कॉलोनी, नन्दपुरी के पास, मालवीय नगर, पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर।

.......अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थित :</u>–

1–श्री लखन लाल मीणा, विशिष्ट लोक अभियोजक राज. राज्य की ओर से।

2–श्री विश्वविजय सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

<u>:: निर्णय ::</u> **दिनांक : 21 अप्रेल, 2025**

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 21.02.2019 को परिवादी पी.डब्ल्यू–1 कैलाश चंद मीणा द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) के आधार पर पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 174/2019 अपराध अंतर्गत धारा 304बी भा.द.सं. में बाद अनुसंधान धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध में दिनांक 17.07.2019 को आरोपी हेमराज के विरुद्ध पूर्ण आरोप–पत्र तथा दिनांक 26.08.2019 को आरोपी प्रभाती देवी के विरुद्ध तितम्बा आरोप–पत्र न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर में प्रस्तुत करने

के आधार पर प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर हुआ है।

2. परिवादी कैलाश चंद मीणा द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के आधार पर उक्त प्रकरण के सारतः संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उसकी पुत्री मीनाक्षी (मीनू) का विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 03.12.2017 को हेमराज मीणा के साथ सम्पन्न हुआ था, जिसमें उसने अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा जमीन बेचकर लगाया था लेकिन शादी के बाद से ससुराल वाले सास, ससुर, दामाद, जेठ, ननद ने दहेज के लिए उसकी बेटी को परेशान करना चालू कर दिया। जब भी बेटी घर आती, कहती पापा वे दहेज के लालची है, उसे परेशान करते हैं, आपको गंदी-गंदी गालियां देते और कहते हैं कि तेरे बाप ने हमारी हैसियत के हिसाब से शादी नहीं की और समाज में उनकी नाक कटवा दी। उसने बेटी को समझाया कि समय के साथ सभी ठीक हो जायेगा। उसने एक-दो बार सास-ससुर व घरवालों को कहा उसकी बेटी का परेशान मत करो, पहले ही उसने शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा लगाया है। वह अपने परिवार वालों को लेकर उनको समझाने गया, तब इन लोगों ने कहा कि अब तंग-परेशान व दहेज की मांग नहीं करेंगे। उसकी बेटी डेढ़ महीने के करीब गर्भवती थी। बेटी ने बताया कि सास व दामाद गर्भपात कराने का दबाव बना रहे थे, कहते थे कि अभी बच्चे की जरूरत नहीं है, दवाई लेकर इसको गिरवा दो। बच्ची ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, इस कारण उसकी बच्ची मर गई। मृत्यु के दिन उन्हें दिन भर गुमराह किया, इत्यादि।

3. उक्त प्रकरण में अनुसंधानोपरांत प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर आरोपीगण हेमराज मीणा व प्रभाती देवी को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर उक्त आरोपीगण ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध को प्रमाणित कराने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू-1 मनफूली देवी, पी.डब्ल्यू-2 कैलाश चंद, पी.डब्ल्यू-3 शंकरलाल मीणा, पी.डब्ल्यू-4 जगदीश चंद मीणा, पी.डब्ल्यू-5 जगदीश, पी.डब्ल्यू-6 श्वेता रावत, पी.डब्ल्यू-7 उदयवीर सिंह,

पी.डब्ल्यू–8 मनफूल, पी.डब्ल्यू–9 रामजीलाल, पी.डब्ल्यू–10 कांता मीणा, पी.डब्ल्यू–11 गुलाब चंद मीणा, पी.डब्ल्यू–12 मूलचंद, पी.डब्ल्यू–13 जयसिंह, पी.डब्ल्यू–14 रामगोपाल, पी.डब्ल्यू–15 प्रीति मीणा, पी.डब्ल्यू–16 फूलचंद, पी.डब्ल्यू–17 सुरेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू–18 रामनारायण, पी.डब्ल्यू–19 राधेश्याम मीणा, पी.डब्ल्यू–20 दिनेश मीणा, पी.डब्ल्यू–21 हरप्रसाद गुप्ता, पी.डब्ल्यू–22 विक्रम सिंह, पी.डब्ल्यू–23 महेन्द्र कुमार मीणा, पी.डब्ल्यू–24 मूलचंद मीणा, पी.डब्ल्यू–25 देवेन्द्र, पी.डब्ल्यू–26 ओमप्रभा, पी.डब्ल्यू–27 जयप्रकाश पूनिया, पी.डब्ल्यू–28 सुरेश चंद, पी.डब्ल्यू–29 शैलेश, पी.डब्ल्यू–30 डॉ.के.आर. टेवानी, पी.डब्ल्यू–31 डॉ. रचित शर्मा, पी.डब्ल्यू–32 डॉ. रमेश चंद शर्मा को परीक्षित करवाया गया (उक्त प्रकरण में सहवन से गवाह मूलचंद मीणा को न्यायालय के समक्ष दो बार पी.डब्ल्यू–12 व पी.डब्ल्यू–24 के रूप में परीक्षित करवा दिया गया है किन्तु साक्षी की साक्ष्य समरूप ही होना प्रकट हुआ है) एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी–2 चाक एफ.आई.आर., प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी–4 बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. शंकरलाल मीणा, प्रदर्श पी–5 फर्द पंचायतनामा, प्रदर्श पी–5 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हेमराज मीणा, प्रदर्श पी–6 बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. जगदीश नारायण मीणा, प्रदर्श पी–6 फर्द जप्ती एक लुगड़ी, प्रदर्श पी–7 अपराध विवरण फार्म, प्रदर्श पी–8 फर्द जप्ती एक एक्जीक्यूटिव डायरी, प्रदर्श पी–9 दिनेश मीणा द्वारा थानाधिकारी, जवाहर सर्किल को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, प्रदर्श पी–9 डायरी, प्रदर्श पी–10 अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्रदर्श पी–10, प्रदर्श पी–11 रसीद सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श पी–11 प्राप्ति रसीद एफ.एस.एल., प्रदर्श पी–12 शादी कार्ड, प्रदर्श पी–13 एफ.एस.एल. रिपोर्ट, प्रदर्श पी–14 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया।

5. अभियोजन साक्ष्य के दौरान भौतिक साक्ष्य में कपड़े की थैली आर्टिकल–1, एक लुगड़ी आर्टिकल–2, एक्जीक्यूटिव डायरी आर्टिकल–3 को प्रदर्शित करवाया।

6. प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं. के प्रावधान से परीक्षित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन

साक्ष्य को गलत होना बताते हुए प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया तथा अभिवाक् किया कि वे निर्दोष हैं, झूठा फंसाया है। मृतका मानसिक रूप से विकृत थी, शादी से पूर्व ही उसका मानसिक ईलाज चल रहा था, शादी के बाद मृतका को बातचीत के दौरान दौरे आते थे, वह बेहोश हो जाती थी, शादी के बाद भी उसका ईलाज करवाया गया था।

7. अभियुक्तागण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 व डी–2 बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. मनफूली व कैलाश चंद मीणा, प्रदर्श डी–3 असल विक्रय–पत्र, प्रदर्श डी–4 कैलाश चंद मीणा द्वारा पुलिस आयुक्त मालवीय नगर, जयपुर को लिखा पत्र, प्रदर्श डी–5 बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. दिनेश मीणा, प्रदर्श डी–5 शादी का कार्ड, प्रदर्श डी–6 व डी–7 ईलाज की पर्ची, प्रदर्श डी–8 लगायत डी–10 फोटोग्राफ्स, प्रदर्श डी–11 बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. रामजीलाल को प्रदर्शित करवाया।

8. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की पुष्टि होती है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज में रुपये, प्लाट, बड़ी गाड़ी, जेवरात आदि की मांग की गई और उक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका मीना को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की गई, जिससे मृतका की उसके विवाह के 07 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में मृत्यु कारित हुई। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जावे।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क रहे कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका मीना या उसके परिवारजन से शादी के समय किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की गई तथा शादी के पश्चात् भी मृतका या उसके किसी परिवारजन से पैसे, प्लाट, बड़ी गाड़ी या जेवरात आदि की मांग नहीं की गई, न ही उसके साथ किसी प्रकार शारीरिक व

मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की गई। मृतका के पास से मिली एक्जीक्यूटिव डायरी आर्टिकल–3 से भी अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान किया जाना प्रकट नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त घटना के समय मृतका का कमरे के अंदर होना व उक्त कमरे का अंदर से बंद होना भी अभियोजन साक्ष्य से प्रकट हुआ है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

12. उक्त प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समय निम्न अवधार्य बिन्दु उद्भूत होते हैं :–

> **''क्या दिनांक 03.02.2017 से 17.02.2019 तक की अवधि के दौरान मृतका, जो कि अभियुक्त हेमराज की पत्नी एवं अभियुक्ता श्रीमती प्रभाती देवी की पुत्रवधु थी, को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, जिससे मृतका की अभियुक्त हेमराज के साथ विवाह के 07 वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु कारित हुई ?''**

13. उक्त मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, जिसे प्रमाणित करवाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करवाना होगा कि आरोपीगण ने मृतका के साथ दहेज क्रूरता कारित की, जिससे मृतका की उसके विवाह के 07 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में मृत्यु कारित हुई।

14. उक्त मामले में परीक्षित हुए साक्षीगण में से पी.डब्ल्यू–1 मनफूली देवी मृतका की मॉं, पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद (मृतका के पिता), पी.डब्ल्यू–3 शंकर लाल मीणा व पी.डब्ल्यू–9 रामजीलाल (मृतका के चचेरे भाई), पी. डब्ल्यू–11 गुलाब चंद मीणा (मृतका मीनाक्षी का दादा), पी.डब्ल्यू–12/24 मूलचंद, पी.डब्ल्यू–14 रामगोपाल, पी.डब्ल्यू–16 फूलचंद (मृतका के चाचा),

पी.डब्ल्यू–15 प्रीति मीणा (मृतका के मामा की लड़की), पी.डब्ल्यू–23 महेन्द्र कुमार मीणा (मृतका के भाई) की साक्ष्य दहेज मांग के संबंध में सुसंगत हैं, क्योंकि सामान्यतः दहेज की मांग महिला के परिवारजनों से प्रत्यक्षतः होती है या उनकी जानकारी में आती है। इस संबंध में सामान्य प्रज्ञा के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की प्रत्यक्ष साक्ष्य की उपलब्धता की संभावना सामान्यतः नहीं होती है।

15. साक्षीगण पी.डब्ल्यू–1 मनफूली (मृतका की मॉ) व पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद (मृतका के पिता) द्वारा सारतः यह साक्ष्य दी है कि मृतका मीना को अभियुक्त हेमराज के साथ विवाह के उपरांत 10–15 दिन तो ससुराल में सही रखा, फिर मृतका की सास परेशान करने लगी। शादी में पहले 16 लाख की मांग की, बाद में हेमराज और प्रभाती 20–25 लाख रुपये, प्लाट की मांग करते और पैसे की मांग को लेकर पीटते थे और परेशान करते थे, उसको रोटी नहीं देते थे। मीनाक्षी के नाम बीलवा में प्लाट था, जिसका बेचान करवा दिया, जिसके पैसे मीनाक्षी के खाते में आये, जिनको निकाल लिया। मृतका से बड़ा प्लाट लाने की मांग करने लगे। मृतका को चंडीगढ़, जहॉ हेमराज नौकरी करता था, वहॉ भेज दिया, शादी के सालभर बाद ही मार दिया। वह पंखे से लटककर मरी, उसके गले पर निशान थे, वह परेशान करने की वजह से मरी। पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद ने मृतका के ससुराल वालों द्वारा ब्रीजा गाड़ी व जेवर की मांग किया जाना भी अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है।

16. पी.डब्ल्यू–1 मनफूली ने अपनी सशपथ साक्ष्य में गाड़ी व जेवर की मांग के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। इस संबंध में पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद की ही साक्ष्य है। पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद द्वारा यह भी साक्ष्य दी है कि उसकी लड़की गर्भवती थी, पति और सास बच्चे को गिराना चाहते थे, उसकी पुत्री मना करती थी, जिसके संबंध में पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 दर्ज करवाया जाना, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पंजीबद्ध होना बताया है। पी.डब्ल्यू–13 जय सिंह ने अपनी सशपथ साक्ष्य में पुलिस थाना श्याम नगर पर उसके समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश होने पर उसके द्वारा मुकदमा दर्ज

कर अनुसंधान ए.सी.पी. मालवीय नगर के जिम्मे किया जाना बताया है।

17. उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा दहेज में कितने रुपये की मांग विवाह के उपरांत की गई, ऐसी कोई विशिष्ट राशि के बारे में नहीं बताया है। मृतका का अपने पति के साथ चंडीगढ़ में रहना, जहॉ से जयपुर आने के उपरांत टिकट होने पर भी अभियुक्त हेमराज का अकेले चले जाना और इसका कारण मृतका व आरोपी के मध्य तू–तू, मैं–मैं होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण ने मृतका के विवाह से पूर्व से मानसिक अवसाद में रहने या उसका उपचार चलने से स्पष्टतया इन्कार किया है।

18. पी.डब्ल्यू–23 महेन्द्र कुमार ने उसकी बहिन मीनाक्षी को शादी के बाद दहेज के लिए परेशान करते, हल्के गहने दिये जाने, ब्रीजा गाड़ी नहीं दिए जाने के बारे में हेमराज, सास प्रभाती, ससुर रामनारायण के द्वारा कहने के बारे में उसकी बहिन ने उसे बताया जाना जाहिर किया है। उक्त गवाह की यह भी साक्ष्य है कि उसकी बहिन के नाम एक प्लाट था, जो उन्होंने बेच दिया। हेमराज के साथ बहिन चंडीगढ़ रहने लगी, जहॉ भी उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसकी बहिन ने उसकी मॉ को बताया कि वह गर्भवती है किन्तु ससुराल वाले बच्चा नहीं चाहते। उसके ससुराल से दिनांक 17.02.2019 को छोटी बहिन के पास मीनाक्षी के गेट नहीं खोलने के बारे में फोन आया, तब उसके पिता के साथ वह भी वहां गया और खिड़की से देखा तो मीनाक्षी पंखे से लटकी हुई थी। पी.डब्ल्यू–23 महेन्द्र कुमार की प्रतिपरीक्षा के दौरान यह साक्ष्य है कि उसकी बहिन के विवाह में जो गाड़ी दी थी, वह उसके नाम पंजीकृत थी, जिसे उसने बेच दिया है। उक्त गवाह ने मीनाक्षी के बचपन से ही अवसाद में रहने व चिड़चिड़ा स्वभाव होने के कारण आत्महत्या करने से इन्कार किया है।

19. पी.डब्ल्यू–9 रामजीलाल ने अपनी सशपथ साक्ष्य में मीनाक्षी को ससुराल में सही नहीं रखने और कभी पैसे व कभी गाड़ी की मांग करने के संबंध में साक्ष्य दी है। उक्त साक्षी ने अपने चाचा के साथ मीनाक्षी के ससुराल जाना, जहॉ जाकर बात करने पर उन्होंने समझाने के लिए व आगे से नहीं होना तो बताया है किन्तु किसने यह बात की, इस संबंध में उक्त

गवाह की कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त गवाह ने यह जाहिर किया है कि उसके चाचा ने मीनाक्षी के खत्म होने के बारे में बताया। पी.डब्ल्यू–9 रामजीलाल ने अपनी साक्ष्य में मीनाक्षी के नाम का प्लाट जरिये प्रदर्श डी–3 बेचान किया जाना, जिसमें उसका गवाह होना, मीनाक्षी के विवाह में दिये गये सामान की लिस्ट प्रदर्श डी–4 बनाया जाना, लिस्ट का सामान व नकद राशि वापस ले लिया जाना बताया है।

20. पी.डब्ल्यू–11 गुलाबचंद मीणा, जो कि मृतका का दादा है, ने अपनी सशपथ साक्ष्य में यह बताया है कि उसकी पोती विवाह के 5–6 माह बाद गॉव आयी तो उसने बताया कि उसको किस भूखे घर में दे दिया। ससुराल वाले हल्का जेवर, छोटी गाड़ी, कम दहेज देने के लिए कहते हैं, प्लाट की भी मांग करते हैं। उक्त गवाह की साक्ष्य से मृतका को ससुराल में समय पर खाना नहीं देना, ससुर के खाने के बाद ही उसे खाना देना बताया है। ससुराल वालों को समझाने के लिए उक्त गवाह ने स्वयं का भी कैलाश, रामजीलाल व सुरेन्द्र के साथ मीनाक्षी के ससुराल जाना बताते हुए यह जाहिर किया है कि मीनाक्षी के ससुर व जेठ ने आइंदा शिकायत नहीं मिलने और मीनाक्षी को हेमराज के साथ चंडीगढ़ भेजने के लिए कहा। उक्त गवाह की यह भी साक्ष्य है कि जब मीनाक्षी अपने मामा की लड़की की शादी में आयी, तब उसने बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट भी करता है। उक्त साक्षी की यह भी साक्ष्य है कि ससुराल वालों ने फांसी डालकर उसे पंखे से लटका दिया। पी.डब्ल्यू–11 गुलाब चंद की साक्ष्य के लगभग समरूप प्रकृति की ही साक्ष्य पी.डब्ल्यू–12/24 मूलचंद व पी.डब्ल्यू–16 फूलचंद द्वारा भी दी गई है।

21. पी.डब्ल्यू–17 सुरेन्द्र सिंह, जो कि मृतका के पिता का पड़ौसी है, ने भी इसी प्रकृति की साक्ष्य देते हुए यह जाहिर किया है कि मीनाक्षी ने उसे व उसकी पत्नी को यह बताया कि ससुराल वाले दहेज के लिए तंग–परेशान व मारपीट करते हैं, जिनसे तंग–परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय वह गर्भवती थी।

22. पी.डब्ल्यू–14 रामगोपाल द्वारा अपनी सशपथ साक्ष्य में यह बताया है कि मीनाक्षी विवाह के बाद जब अपने घर आयी, तो उसकी पत्नी को यह

बताया कि ससुराल में उसका पति व सास उसे कम दहेज दिए जाने के लिए परेशान करते हैं। उक्त साक्षी की साक्ष्य अनुश्रुत प्रकृति की होना प्रकट होता है।

23. पी.डब्ल्यू–3 शंकरलाल मीणा ने अपनी सशपथ साक्ष्य में मृतका को अपने ताऊ कैलाश की पुत्री होना बताते हुए कैलाश के द्वारा ही मीनाक्षी की मृत्यु के बारे में उसको बताया जाना जाहिर किया है। उक्त साक्षी ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर उसके हस्ताक्षर गांधी नगर पुलिस थाना पर करवाया जाना व मीनाक्षी द्वारा उसको (पी.डब्ल्यू–3 को) मीनाक्षी के सास–ससुर, जेठ व पति द्वारा प्लाट व गाड़ी देने के ताने देकर रोज परेशान करने के संबंध में नहीं बताया जाना जाहिर किया है। उक्त साक्षी ने अपने पूर्व कथन प्रदर्श पी–4 का उक्त तथ्यों से संबंधित भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना बताया है।

24. पी.डब्ल्यू–15 प्रीति मीणा ने भी अपनी सशपथ साक्ष्य में यह जाहिर किया है कि मीनाक्षी ने उसे यह बताया कि उसकी सास हल्के जेवर देने के लिए ताना मारती है, खाने में ठण्डी रोटी देते हैं, उसके गर्भवती होने के दौरान उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। उक्त गवाह की यह भी साक्ष्य है कि मीनाक्षी परेशान थी। उक्त साक्षी ने मीनाक्षी के मानसिक अवसाद में रहने के बारे में जानकारी नहीं होना किन्तु उसका सही होना, गुस्सा नहीं करना बताया है।

25. पी.डब्ल्यू–4 जगदीश चंद मीणा द्वारा अपनी सशपथ साक्ष्य में मीनाक्षी की मृत्यु के उपरांत पंचनामा प्रदर्श पी–5 उसके समक्ष बनाया जाना, तत्समय एस.डी.एम. ओमप्रभा जी, कैलाश चंद, सुरेन्द्र सिंह का मौके पर उपस्थित होना बताया है।

26. पी.डब्ल्यू–18 रामनारायण द्वारा भी प्रदर्श पी–5 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान प्रमाणित करवाते हुए यह साक्ष्य दी है कि तत्समय ओमप्रभा एस.डी.एम. जयपुर उत्तर उपस्थित थी, जिसने वहां उपस्थित मीनाक्षी के पिता कैलाश, भाई महेन्द्र, मामा बाबूलाल से बच्ची को परेशान करने के बारे में पूछा तो सभी ने यह बताया कि बच्ची को कोई परेशान नहीं करता था, गुस्से में आकर फंदा लगाकर मर गई। स्वयं कैलाश ने यह कहा कि वह

खुद ही गुस्से में आकर फंदा लगाकर मर गई।

27. पी.डब्ल्यू–5 जगदीश द्वारा अपनी सशपथ साक्ष्य में मृतका मीनाक्षी ससुराल में सुखी थी या दुखी, इस संबंध में उसको जानकारी नहीं होना बताया। उक्त गवाह अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

28. पी.डब्ल्यू–6 श्वेता रावत मृतका मीनाक्षी की पड़ौसी हैं, ने अपनी सशपथ साक्ष्य में यह बताया है कि मीनाक्षी को उसके ससुराल वाले व पति अच्छे से रखते थे, उसे कोचिंग भी करवाया, वह कोचिंग स्कूटी से जाती थी, तब वह एक–दो बार मिली थी। उक्त साक्षी ने मीनाक्षी के सिर में दर्द होना बताया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मीनाक्षी अपने मामा की लड़की की ननद मोना की शादी में दिनांक 21.02.2019 को शामिल होने के लिए अपने पति के साथ चंडीगढ़ नहीं गई।

29. पी.डब्ल्यू–10 कांता, मीनाक्षी की सहेली है, जिसने अपनी सशपथ साक्ष्य में उनके साथ में अभिज्ञान में कोचिंग करना, उसकी आत्महत्या का कोई कारण नहीं बताया जाना, मीनाक्षी द्वारा अपने पति हेमराज की काफी प्रशंसा करना बताते हुए उसको मृतका द्वारा ससुराल में तंग–परेशान करने के संबंध में कभी नहीं बताया जाना जाहिर किया है।

30. पी.डब्ल्यू–8 मनफूल ने अपनी सशपथ साक्ष्य में अभियुक्त हेमराज को अपने परिवार में भाई का लड़का होना बताते हुए उसकी पत्नी मीनाक्षी को अच्छे से रखना, जिसका फांसी खाकर खत्म होना बताते हुए मीनाक्षी व हेमराज का विवाह उसके द्वारा करवाया जाना एवं विवाह में कोई दहेज की मांग नहीं होना, मीनाक्षी द्वारा उसको कभी इस बारे में शिकायत नहीं करना जाहिर किया है। उक्त गवाह ने मीनाक्षी का उसके यहॉ आना–जाना व उक्त गवाह का भी मीनाक्षी के यहॉ आना–जाना बताया है।

31. पी.डब्ल्यू–19 राधेश्याम मीणा ने अपनी सशपथ साक्ष्य में प्रदर्श पी–6 लगायत पी–8 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है किन्तु उक्त हस्ताक्षर किस बाबत् किये, ध्यान नहीं होना बताया है। उक्त गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिसने अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह जाहिर किया है कि हेमराज उसका

साला है, उसे बचाने के लिए वह बयान दे रहा है, जिससे उक्त गवाह द्वारा मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दी गई साक्ष्य स्वीकार्य योग्य प्रकट नहीं होती।

32. पी.डब्ल्यू–20 दिनेश मीणा ने अपनी सशपथ साक्ष्य में मृतका मीनाक्षी को अपने भाई की पत्नी होना बताते हुए यह साक्ष्य दी है कि मीनाक्षी ने घर पर ही आत्महत्या की थी, जिसकी कैलाश के साथ जाकर सूचना प्रदर्श पी–9 उसने जवाहर सर्किल थाने पर जाकर दी। उक्त साक्षी ने धारा 174 दण्ड प्रक्रया संहिता के तहत की गई कार्यवाही प्रदर्श पी–10 होना बताते हुए पुलिस द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 की लिखापढ़ी किया जाना एवं मीनाक्षी की डायरी पुलिस को सुपुर्द किया जाना, जिसे प्रदर्श पी–8 से जप्त किया जाना बताया है। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके सामने मृतका की कोई डायरी पेश नहीं होना और मीनाक्षी का चिड़चिड़े स्वभाव की होना, उसका किसी से बात नहीं करना व ईलाज चलना बताया है।

33. पी.डब्ल्यू–27 जयप्रकाश पूनिया ने अपनी सशपथ साक्ष्य में उसके समक्ष दिनांक 17.02.2019 को जब वह पुलिस थाना जवाहर सर्किल पर सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था, तब दिनेश व कैलाश द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–9 पेश किया जाना बताया है।

34. पी.डब्ल्यू–21 हरप्रसाद गुप्ता ने अपनी सशपथ साक्ष्य में उसके पड़ौसी रामनारायण, जो कि हेमराज का पिता है, के घर के बाहर भीड़ होना, हेमराज की पत्नी मीनाक्षी के फांसी लगाने की बात सुनी जाना बताया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में हेमराज व मीनाक्षी के बीच अनबन के बारे में कभी नहीं सुना जाना, न ही मीनाक्षी द्वारा उसको व उसके परिवार के किसी सदस्य को उसके (मीनाक्षी के) साथ हेमराज व उसके परिजनों द्वारा क्रूरता कारित किए जाने के बारे में कभी बताया जाना जाहिर किया है।

35. पी.डब्ल्यू–26 ओमप्रभा, जो तत्समय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (उत्तर) जयपुर के पद पर पदस्थापित थी, जिसने मृतका की मृत्यु के उपरांत धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मृतका की मृत्यु की समीक्षा की, ने अपनी सशपथ साक्ष्य में जयपुरिया अस्पताल में मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी–5 तैयार कर पोस्टमार्टम के उपरांत लाश मृतका के पिता कैलाश चंद को

जरिये प्रदर्श पी–11 सुपुर्द किया जाना, मृतका की लूगड़ी आर्टिकल–2, डायरी आर्टिकल–3 को जरिये क्रमशः प्रदर्श पी–6 व पी–8 से जप्त करना व घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 मूर्तिब कराना, दिनेश व हेमराज के कथन उनके कथनानुसार लिपिबद्ध किया जाना, हेमराज द्वारा पेश रेलवे टिकट, मोबाइल की चैट्स, अस्पताल में खींचे गये फोटो शामिल पत्रावली किया जाना एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत मृग रिपोर्ट मय दस्तावेज ए.सी.पी. मालवीय नगर के पत्र के अनुसरण में अग्रिम अनुसंधान हेतु प्रेषित किया जाना बताया है।

36. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किए हैं कि जब वह अस्पताल पहुंची, तो उस समय मृतका के पिता कैलाश चंद, ससुराल व पीहर के अन्य परिजन व पड़ौसी उपस्थित थे। उसने मृतका के परिजनों से वार्तालाप की थी, जिन्होंने उस समय किसी तरह का शक व संदेह जाहिर नहीं किया था। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके संज्ञान में यह आया था कि मृतका का डिप्रेशन से संबंधित उपचार जारी था। उसके होशियार होने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करवा रहे थे। उक्त साक्षी ने यह भी जाहिर किया कि घटना के दिवस को मृतका का पति जयपुर में नहीं था एवं उसके समक्ष यह तथ्य नहीं आया कि मृतका का किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न किया गया।

37. अभियोजन पक्ष के उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन किया जावे, तो साक्षी पी.डब्ल्यू–6 श्वेता रावत, पी.डब्ल्यू–8 मनफूल, पी.डब्ल्यू–10 कांता, पी.डब्ल्यू–21 हरप्रसाद गुप्ता, पी.डब्ल्यू–26 ओमप्रभा की साक्ष्य के अनुसार उनका हितबद्ध साक्षी होना प्रकट नहीं होता। उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा मृतका से / मृतका के परिजनों से दहेज की मांग करना दर्शित नहीं होता है।

38. मृतका के परिजन, जिनकी साक्ष्य का पूर्व में विवेचन किया गया है, से आरोपीगण द्वारा दहेज में रुपये, ब्रीजा कार, प्लाट, गहने आदि की मांग किया जाना प्रतीत होता है किन्तु मृतका के पिता एवं उक्त प्रकरण के परिवादी व आरोपी के भाई क्रमशः पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद, पी.डब्ल्यू–20 दिनेश मीणा के साथ पुलिस थाना जवाहर सर्किल जाकर रिपोर्ट प्रदर्श

पी–9 दी गई। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 तत्समय पी.डब्ल्यू–27 जयप्रकाश पूनिया को प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा उक्त रिपोर्ट की पुश्त पर कार्यवाही पुलिस अंकित की गई, की रिपोर्ट पढ़कर सुनाये जाने के उपरांत दिनेश व कैलाश चंद ने रिपोर्ट को सही होना मानकर हस्ताक्षर किए, जिससे यह दर्शित होता है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 पेश किये जाने तक पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद द्वारा यह तथ्य जाहिर नहीं किये गये कि उसकी पुत्री के साथ दहेज क्रूरता कारित करने से उसकी दहेज मृत्यु हुई है। उक्त तथ्यों की पुष्टि पी.डब्ल्यू–26 ओमप्रभा तत्कालीन उपखण्ड मजिस्ट्रेट की साक्ष्य से भी होती है, जिनके समक्ष भी उक्त पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद द्वारा अपनी पुत्री के निधन के संबंध में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया, जिससे उक्त पी. डब्ल्यू–2 कैलाश चंद द्वारा पश्चात्वर्ती सोच के आधार पर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश की गई है, इस कारण से मृतका से उसके पति व पति के परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर क्रूरता कारित किए जाने के संबंध में दी गई साक्ष्य विश्वास योग्य प्रकट नहीं होती है।

39. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका की लिखी डायरी आर्टिकल–3/प्रदर्श डी–9 पर बल दिया गया किन्तु उक्त डायरी के परिशीलन से भी मृतका से दहेज की मांग किया जाना प्रकट नहीं होता बल्कि मृतका के पति द्वारा मृतका के फोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, कमरे से बाहर निकाल देना, मृतका द्वारा ठण्डी रोटी खाना प्रतीत होता है। मृतका द्वारा उसके पति के साथ अजन्मे बच्चे के माध्यम से बातचीत कर डायरी लिखा जाना प्रकट होता है, जिससे यह तथ्य किसी प्रकार से दर्शित नहीं होता कि मृतका को किसी दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया, जिस कारण से मृतका की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित हुई।

40. पी.डब्ल्यू–8 मनफूल द्वारा मृतका का आरोपी हेमराज से विवाह करना बताया है, जिसकी साक्ष्य के अनुसार भी विवाह में दहेज की मांग नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन के उक्त वर्णित साक्षीगण की साक्ष्य से आरोपीगण द्वारा मृतका से विवाह के उपरांत दहेज की मांग किया जाना व दहेज की मांग को लेकर ही मृतका के साथ क्रूरता कारित किए जाने के तथ्य संदेहातीत प्रमाणित नहीं होते।

41. पी.डब्ल्यू–28 सुरेश चंद उक्त प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपनी सशपथ साक्ष्य में स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रमाणित करवाते हुए गवाहान के कथन लिपिबद्ध करना, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 मूर्तिब किया जाना, प्रकरण के संबंध में पूर्व में दर्ज मृग सं. 6/19 की पत्रावली मय दस्तावेज प्राप्त करना, मृतका की डायरी में लिखित इबारत की छाया प्रति प्रदर्श पी–9 उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया जाना, मृतका के पिता कैलाश द्वारा दहेज में दिया सामान वापस प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–4 पेश किया जाना एवं मृतका के विवाह का कार्ड प्रदर्श पी–12 शामिल पत्रावली किया जाना बताते हुए उक्त प्रकरण के सैम्पल विक्रम सिंह कांस्टेबल के जरिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाया जाकर रसीद प्रदर्श पी–11 शामिल किया जाना बताया है। पी. डब्ल्यू–22 विक्रम सिंह ने उक्त प्रकरण से संबंधित प्रकरण सं. 174/19 में जप्त 03 सीलबंद पैकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने हेतु प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उसी दिन जमा करवाया जाकर रसीद प्रदर्श पी–11 प्राप्त कर हैड मोहर्रिर (एच.एम.) को दिया जाना जाहिर किया है। पी.डब्ल्यू–28 सुरेश चंद ने अपनी साक्ष्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 शामिल किया जाना भी बताया है।

42. पी.डब्ल्यू–28 सुरेश चंद की साक्ष्य से अभियुक्त हेमराज के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसे जरिये प्रदर्श पी–5 गिरफ्तार किया जाना जाहिर किया है, जिसकी पुष्टि पी.डब्ल्यू–7 उदयवीर सिंह की साक्ष्य से भी होती है। उक्त पी. डब्ल्यू–28 सुरेश चंद ने यह जाहिर किया है कि श्रीमती प्रभाती देवी के विरुद्ध अनुसंधान धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लंबित रखा जाकर अभियुक्त हेमराज के विरुद्ध आरोप–पत्र किता कर पुलिस थाना जवाहर सर्किल को भेजा गया एवं तत्पश्चात् अभियुक्ता श्रीमती प्रभाती देवी की माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत होने से उसके विरुद्ध तितम्बा आरोप–पत्र पेश किया जाना बताया है।

43. पी.डब्ल्यू–25 देवेन्द्र की साक्ष्य से उक्त मामले में अभियुक्त हेमराज के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय

अपराध प्रमाणित पाये जाने व अभियुक्ता प्रभावी देवी के विरुद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनुसंधान लंबित रखे जाने व अन्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके पास पत्रावली प्राप्त हुई, जिस पर आरोप–पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्ता प्रभाती देवी के विरुद्ध तितम्बा आरोप–पत्र पेश किया जाना बताया है।

44. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–28 सुरेश चंद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह जाहिर किया है कि उसके अनुसंधान के दौरान मृतका की मानसिक परेशानी संबंधित कोई ईलाज, दवाई लेने का तथ्य नहीं आया। उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–9 जो कि मृतक द्वारा लिखित डायरी की प्रति है, में ससुराल पक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा दहेज मांगने का कोई उल्लेख नहीं है।

45. पी.डब्ल्यू–30 डॉ. के.आर. टेवानी, पी.डब्ल्यू–31 डॉ. रचित शर्मा, पी. डब्ल्यू–32 डॉ. रमेश चंद शर्मा मेडिकल बोर्ड के सदस्य हैं, जिनके द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम किया गया, ने अपनी सशपथ साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–14 को प्रमाणित करवाते हुए मृतका के गले पर एक निशान, जो कि किसी रस्सी या कपड़े के गले के चारों ओर बांधने का हो सकता था, जिसकी लंबाई 31 सेमी x 4 सेमी, जो बांये कान के नीचे 9 सेमी से शुरु होकर आगे की ओर आते हुए ठुड्डी के 6 सेमी नीचे फिर वह निशान पीछे और ऊपर की तरफ 5 सेमी दांये कान के नीचे फिर खोपड़ी की हड्डी के निचले भाग में गर्दन तक होना, निशान के ऊपर ललाई होना, जिसका डिसेक्शन करने पर मांसपेशियों में रक्त का कलेक्शन दिखाई देना, श्वास की नली की रिंग्स अंदर की ओर दबी होना बताते हुए निशान को मृत्यु से पहले की हैंगिंग का दर्शाया जाना जाहिर किया है।

46. पी.डब्ल्यू–29 डॉ. सैलेश भी मेडिकल बोर्ड के सदस्य हैं, जिसने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–14 को प्रमाणित करवाते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ होने से मृतका के गर्भाशय के संबंध में राय दिया जाना बताया है।

47. उक्त साक्षीगण पी.डब्ल्यू–30 डॉ. के.आर. टेवानी, पी.डब्ल्यू–31 डॉ. रचित शर्मा, पी.डब्ल्यू–32 डॉ. रमेश चंद शर्मा की साक्ष्य से मृतका के शरीर

में विष के प्रभाव की जानकारी के लिए सैम्पल लिया जाना, जिसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 के अनुसार किसी भी प्रकार के जहर के लिए उक्त रिपोर्ट का निगेटिव होना बताया है। उक्त चिकित्सकीय साक्षीगण की साक्ष्य से मृतका के शरीर पर गले में निशान के अलावा बाह्य कोई चोट नहीं थी। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं हुआ है कि मृतका को बाह्य बल या फांसी लगाकर लटकाया गया हो।

48. प्रदर्श पी–9 से मृतका की मृत्यु की दिनांक 17.02.2019 को फांसी लगाने से होने के संबंध में पुलिस थाना जवाहर सर्किल को सूचना दिया जाना प्रकट है। पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद व पी.डब्ल्यू–23 महेन्द्र कुमार मीणा की साक्ष्य के अनुसार मृतका द्वारा जिस कमरे में फांसी लगायी वह अंदर से बंद था, खिड़की में से मृतका को देखा गया, पुलिस के आने पर खोला गया, जिससे भी कमरे के अंदर मृतका द्वारा ही फांसी लगाये जाने की युक्तियुक्त संभावना दर्शित होती है। यह अविवादित तथ्य साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि उक्त घटना के समय आरोपी हेमराज जयपुर में नहीं था।

49. मृतका के परिजनों की यह साक्ष्य है कि मृतका को फांसी डालकर पंखे से लटका दिया किन्तु उक्त साक्ष्य स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि पी.डब्ल्यू–2 कैलाश चंद व पी.डब्ल्यू–23 महेन्द्र कुमार मीणा की साक्ष्य के अनुसार जब वे मौके पर पहुंचे, तो जिस कमरे में मृतका फांसी पर लटकी हुई थी, वह अंदर से बंद था। उस कमरे को अंदर से बंद करके कोई बाहर आ सकता हो, ऐसीी अभियोजन पक्ष की कोई साक्ष्य ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–14 के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटना, जो मृत्यु से पूर्व गला घुटने से होना प्रकट होता है।

50. उक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से आरोपीगण द्वारा मृतका से दहेज में रुपये, ब्रीजा गाड़ी, बड़ा प्लाट या जेवरात आदि की मांग किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है।

51. उक्त मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज मृत्यु एवं दहेज क्रूरता का आरोप है, जिसके संबंध में क्या कानून है, इसका विवेचन किया जाना आवश्यक है।

"304B. Dowry death.--(1) Where the death of a woman is

caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circusmstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called "dowry death", and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Explanation.--For the purpose of this sub-section, "dowry" shall have the same meaning as in Section 2 of the Dowry prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

(2) Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life."

52. धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के साथ ही विधायिका द्वारा धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान जोड़े गए, जिसमें यह प्रावधानित है कि –

"113B. Presumption as to dowry death.-When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassmet for, or in connection with any demand for dowry, the Court shall presume that such person had caused the dowry death.

Explanation.-For the purpose of this Section "dowry death" shall have the same meaning as in Section 304-B of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

53. दहेज को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है–

"Sec.2 Definitio of 'Dowry': In this Act "dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly-

(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or

(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage or to any other person, at or before (or any time after the marriage) (in connection with the marriage of the said parties), but does not include dower or mahr in

the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies."

54. उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार धारा 304बी भा.द.सं. के अपराध के लिए निम्न विशिष्टियों का साबित होना अपेक्षित है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा **Major Singh Vs State of Punjab (2015) 5 SCC 201** के मामले में प्रतिपादित किया गया है।

"10. To sustain the conviction under Section 304B IPC, the following essential ingredients are to be established:
(i) the death of a woman should be caused by burns or bodily injury or otherwise than under a 'normal circumstance';
(ii) such a death should have occurred within seven years of her marriage;
(iii) she must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband;
(iv) such cruelty or harassment should be for or in connection with demand of dowry; and
(v) such cruelty or harassment is shown to have been meted out to the woman soon before her death."

55. 304बी भा.द.सं. के अनुसार यदि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ दहेज संबंधी क्रूरता उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व (Soon before her death) कारित करने के तथ्य को साबित करा देता है और यह भी साबित करा देता है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा उसकी शादी के 07 वर्ष के भीतर हुई है, तो न्यायालय धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत उपधारणा करेगा कि यह दहेज हत्या अभियुक्तगण द्वारा की गई है।

56. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के **Kansraj Vs State of Punjab (2000) 5 SCC 207** के मामले में मृत्यु से ठीक पूर्व (Soon before her death) का निर्वचन निम्नानुसार किया गया है –
"15. ..."Soon before" is a relative term which is regquired to be considered under specific circumstances of each case and no straitjacket formula can be laid down by fixing any time limit....**<u>In</u>**

relation to dowry deaths, the circumstances showing the existence of cruelty or harassment to the deceased are not restricted to a particular instance but normally refer to a course of conduct, Such conduct may be spread over a period of time Proximate and live link between the effect of cruelty based on dowry demand and the consequential death is_ required to be proved by the prosecution. The demand of dowrv, cruelty or harassment based upon such demand and the date of death should not be too remote in time which, under the circumstances, be treated as having become stale enough."

(emphasis supplied)

57. निर्णीत विधि **Rajinder Singh Vs State of Punjab AIR 2015 SC 1359** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु से ठीक पूर्व (Soon before her death) का निर्वचन निम्नानुसार किया गया है–

23. .... What must be borne in mind is that the word "soon" does not mean "immediate". A fair and pragmatic construction keeping in mind the great social evil that has led to the enactment of Section 304B would make it clear that the expression is a relative expression. Time legs may differ from case to case. All that is necessary is that the demand for dowry should not be stale but should be the continuing cause for the death of the married woman under Section 304B.

58. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Sanjay Kumar Jain Vs State of Delhi AIR 2011 SC 363** के मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि दहेज बाबत् की गई क्रूरता व दहेज बाबत् क्रूरता के फलस्वरूप की गई दहेज हत्या बंद कमरे के अपराध होते हैं और इस प्रकार के अपराध के चक्षुदर्शी साक्षी कम ही होते हैं, क्योंकि मुख्य पीड़िता की तो मृत्यु हो गई होती है। ऐसी स्थिति में उसके माता–पिता व अन्य रिश्तेदार ही मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों के मुख्य एवं अहम गवाह होते हैं।

59. उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में हस्तगत मामले में अभियोजन की सम्पूर्ण साक्ष्य से मृतका के विवाह के लगभग 02 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में मृत्यु होना तो दर्शित होता है किन्तु

मृत्यु से पूर्व तक आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग किया जाना पूर्वोक्त विवेचन से संदेहातीत प्रमाणित नहीं होता। चिकित्सकीय साक्षीगण की भी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका की मृत्यु बाह्य वस्तु श्वसन तंत्र (smothering) से दम घुटने (asphyxia) के कारण हुई हो, जिससे आरोपीगण द्वारा मृतका की मृत्यु से कुछ समय पूर्व तक उसको दहेज मांग के लिए प्रताड़ित किया जाना प्रमाणित नहीं होने से मृतका की दहेज मृत्यु कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

60. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण हेमराज व प्रभाती देवी द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया, जिससे मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कारित की।

61. परिणामतः पूर्वोक्त विवेचन के आधार पर अवधारणीय बिन्दुओं का विनिश्चय अभियोजन के विरुद्ध तय किया जाकर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता से संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

62. परिणामतः अभियुक्त (1) हेमराज पुत्र रामनारायण, उम्र 33 वर्ष, (2) प्रभाती देवी पत्नी रामनारायण, उम्र 60 वर्ष, निवासीगण मकान नंबर 3, श्याम विहार कॉलोनी, नन्दपुरी के पास, मालवीय नगर, पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर को आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

63. अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत–मुचलके नियमानुसार अपील की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जावें।

64. प्रकरण में अपील/रिवीजन होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार अन्यथा अपील/रिजीवन की अवधि के अवसान के छः माह के उपरांत प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत लुगड़ी को नियमानुसार नष्ट किया जावे।

65. पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के प्रावधानानुसार परिवादी पक्ष को प्रतिकर दिलवाया जाना विधि अनुसार और न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रतिकर राशि दिलवाए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

(प्रीति मुकेश परनामी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम

66. निर्णय आज दिनांक 21 अप्रेल, 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मुकेश परनामी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम